

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुनिता यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 295 /2022

उनवान

मिश्री पुत्र पन्ना रेबारी निवासी ढाणी भवसागर तहसील शाहपुरा

- प्रार्थी

बनाम

- 1- रामबक्ष पिता बालू रेबारी निवासी ढाणी भवसागर तहसील शाहपुरा
- 2- सोजी पिता हन्जा रेबारी निवासी ढाणी भवसागर तहसील शाहपुरा
- 3- मांगीलाल पिता घासी रेबारी निवासी ढाणी भवसागर तहसील शाहपुरा
- 4-5 बक्षु उर्फ रामबक्ष, भगवान पिता पन्ना रेबारी निवासी ढाणी भवसागर तहसील शाहपुरा
- 6- देबी पिता हन्जा रेबारी निवासी ढाणी भवसागर तहसील शाहपुरा
- 7-रघुवीर पिता ईश्वर नायक निवासी ढाणी भवसागर तहसील शाहपुरा
- 8-9 जयसिंह, मांगीलाल पिता छोगा भीणा निवासी ढाणी भवसागर तहसील शाहपुरा

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री लालाराम गुर्जर
अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

-:: निर्णय ::-

दिनांक- 16.8.2022

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - ग्राम ढाणी भवसागर पटवार हल्का डाबला कचरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 588 रकबा 0.22 है0, 600/653 रकबा 0.02 है0, 607 रकबा 0.10 है0 कुल कित्ता 3 रकबा 0.34 हैक्टेयर का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण सं0 1 लगायत 3, 5 लगायत 9 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की गयी। एवं विपक्षीगण सं0 4 के विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की गयी। बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम ढाणी भवसागर पटवार हल्का डाबला कचरा संवत् 2074 से 2077 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज होकर प्रार्थी अपनी उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर मौजा ढाणी भवसागर में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी की आराजीयात् में से आराजी नम्बर 600 /653 रकबा 0.02 है0 किस्म गेमु. बाड़ा होने से उक्त आराजीयात को छोड़कर शेष कित्ता 2 रकबा 0.32 हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिशन फीस 500/- रुपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.8.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।



(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा